न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4089/2006/कोटा

1– मांगीलाल पुत्र भंवरलाल– मृतक जरिये वारिसान –
1/1. भंवरीबाई पत्नि मांगीलाल,
1/2. लव कुमार पुत्र मांगलाल,
1/3. कुशलकुमार पुत्र मांगीलाल,
1/4. किरण कुमारी पुत्री मांगीलाल समस्त जाति भील निवासी ग्राम मोडक तहसील रामगंज मण्डी कोटा।

---- अपीलांट

बनाम

1– सोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल,
2– रामचन्द्र पुत्र देवलाल समस्त जाति नाई निवासी ग्राम मोडक, तहसील रामगंज मण्डी, जिला कोटा।

---- रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय दिनांक :– 02.11.2022

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 40/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2005 बउनवानी मांगीलाल बनाम सोहनलाल के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट वादी ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंज मण्डी के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि

अपीलांट/वादी को दिनांक 01–06–1981 को आंवटित की गई थी और दिनांक 15–07–1981 को कब्जा दिया गया था जब से अपीलांट वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रतिवादी झगड़ा करते रहते हैं और वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते हैं। अतः प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज किया जावें। प्रतिवादी ने अपना जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर बताया था कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रखा है। बयनामा फर्जी रूप से बनाया गया है। प्रतिवादी सन् 1971 से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसी कारण वादग्रस्त भूमि व खसरा संख्या 36 की 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि का नियमन प्रतिवादी को किया गया था। प्रतिवादी को नियमन की गई भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर अपीलांट वादी को दखल दिया जा सकता था। अतः खसरा सं0 36 व वादग्रस्त भूमि का रकबा 20 बीघा पर रेस्पोडेन्ट को खातेदार घोषित किया जावें। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुये उपस्थित योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर दिनांक 04–03–2004 को प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादी का दावा खारिज कर दिया जिस निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलांट/वादी ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2005 से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2004 को इस प्रकार संशोधित किया कि वादी का दावा खारिज किया जाता है और रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भी खारिज किया जाता है। अपीलाधीन निर्णय का शेष भाग यथावत् रहेगा। उक्त निर्णय दिनांक 17–05–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। वादी/अपीलांट को आराजी खसरा नं0 41 की 10 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01–06–1981 को किया गया। अपीलांट ने अपनी साक्ष्य से प्रश्नगत भूमि का आवंटन किया जाना तथा पटवारी हल्का द्वारा कब्जा दिया जाना साबित कर दिया था फिर भी विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी का दावा अस्वीकार कर दिया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–03–2004 के द्वारा एक प्रकार से प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम को निर्णित किया है। अपीलांट के दावे के संबंध में उन्होंने एक लाईन तक अपने निर्णय में नहीं लिखी। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने तनकी नं0 1 एवं 2 वादी के हक में निर्णित करने के बावजूद भी अपीलांट का दावा अस्वीकार कर दिया। अपीलांट ने अपना दावा उसको स्वयं को आवंटित रकबा खसरा नं0 41 मिन की 10 बीघा बाबत् प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी–रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अपीलांट को आवंटित रकबा बाबत् नहीं था। यदि रेस्पो0 को खसरा नं0 41 में 20 बीघा भूमि आवंटित हुयी तथा खसरा नं0 36 की 2 बीघा 5 बिस्वा आराजी आवंटन हुयी तो उसके बाबत् अपना अलग से दावा प्रस्तुत करना चाहिये था जबकि अपीलांट को आवंटित आराजी के बाबत् रेस्पो0 का काउन्टर क्लेम नहीं था तो अपीलांट के दावे में उनका अन्य भूमि बाबत् प्रस्तुत काउन्टर क्लेम संधारण योग्य नहीं था। बहस जारी रखते हुये आगे कथन किया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय नहीं दिया तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय भी नॉन स्पीकिंग है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने काउन्टर क्लेम भी खारिज कर दिया जिसकी प्रतिवादी ने कोई अपील नहीं की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2005 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रामगंज मण्डी का निर्णय दिनांक 04–03–2004 निरस्त फरमायी जाकर अपीलांट/वादी का दावा डिक्री फरमाया जावें।

5– योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने वक्त बहस लिखित बहस प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया किन्तु आदिनांक तक भी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2004 से प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादी का दावा खारिज किया है।

8– विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2005 से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2004 इस प्रकार संशोधित किया कि वादी का दावा खारिज किया जाता है और रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भी खारिज किया जाता है। अपीलाधीन निर्णय का शेष भाग यथावत् रखा है।

9– पत्रावली में संलग्न दस्तावेज ई.एक्स.पी–2 प्रतिलिपि दखलनामा, आवंटी, ई.एक्स.पी–1 भूमि आवंटन आज्ञा, ई.एक्स.2ए. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम चौसाला सम्वत् 2036 से 2039, ई.एक्स.–1ए. नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2035, ई.एक्स.–5ए. भू–अभिलेख निरीक्षक वृत चेचट मौका रिपोर्ट दिनांक 20–02–1993, ई.एक्स.–6ए. नकल नजरी नक्शा मौजा चौसाला, ई.एक्स.–4ए. नकल जमाबन्दी ग्राम चौसाला सम्वत् 2052 से 2055, ई.एक्स.3–4–5–6–7 नोटिस नाजायज कब्जा काश्त, ई.एक्स.–8, 9 नकल रसीद, ई.एक्स.10, 11 नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2030–2031 है।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलांट मांगीलाल को दिनांक 01–06–1981 को खसरा नं0 41 मिन में से 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था और इसी दिन रेस्पोडेन्ट को भी खसरा नं0 41 में 20 बीघा भूमि का नियमन किया गया था। रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श–4ए. में बतौर गैर खातेदार, इंतकाल सं0 462 से दर्ज है किन्तु आवंटन के पश्चात् अपीलांट का नाम उसे आवंटित भूमि पर बतौर गैर खातेदार दर्ज नहीं हुआ है। अपीलार्थी द्वारा में ऐसा कोई

दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह विदित हो की अपीलांट का नाम खसरा सं0 41 मिन के 10 बीघा रकबे पर बतौर गैर खातेदार दर्ज हो। वादग्रस्त भूमि का खसरा सं0 41 का कुल रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा है। अतः यह स्थिति संभव मानी जा सकती है कि अपीलांट को 10 बीघा रकबे का आवंटन हो जाये और रेस्पोडेन्ट को 20 बीघा रकबा नियमन हो जायें। इस प्रकार अपीलांट की स्थिति बतौर आवंटी की ही है। अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत केवल टिनेन्ट को ही दावा लाने का अधिकार है। इस प्रकार आवंटी अभी भी सरकार के शूज में है। इस प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात से यह विदित होता है कि आवंटी व रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि के खसरा नं0 41 पर काफी लम्बे समय से बतौर अतिक्रमी चले आ रहे हैं। अपीलांट को किया गया आवंटन सक्षम अदालत में चेलेन्ज किया गया हो ऐसा विदित नहीं होता है किन्तु रेस्पोडेन्ट को किये गये नियमन के विरूद्ध कार्यवाही निर्णित होना बताया गया है। इस प्रकार अपीलांट उसे आवंटित भूमि पर गैर खातेदारी प्राप्त व आवंटन शर्तों की पालना के उपरान्त खातेदार अधिकार प्राप्त करने के लिए विधि अन्तर्गत अधिकृत है। चूंकि इस प्रकरण में विवाद यह है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के खसरा सं0 41 के किस भाग पर काबिज है या काबिज नहीं है और रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि के खसरा सं0 41 के किस भाग पर काबिज है। इस कारण अपीलांट के कब्जे की स्थिति स्पष्ट हुये बिना अपीलांट की वादग्रस्त भूमि पर अधिकार घोषणा की प्रार्थना विधि अन्तर्गत मान्य नहीं है। विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17-05-2005 में अंकित किया है कि तनकी सं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित की है। तनकी सं0 2 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में इस हद तक की दखलनामा तैयार किया गया था वादी के पक्ष में सिद्ध मानी है क्योंकि परीक्षण न्यायालय में वादी ने दखलनामा को सिद्ध करने के लिए दखलनामे की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। तनकी सं0 3 वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं माना है क्योंकि ऐसे कोई दस्तावेज वादी ने प्रस्तुत नहीं किये है। तनकी सं0 4 भी वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं मानी है क्योंकि कब्जे का प्रश्न अभी भी विवादग्रस्त है। तनकी सं0 5 भी वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं मानी है क्योंकि वादी

वादग्रस्त भूमि का मात्र आवंटी नहीं है। तनकी सं0 7 साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं मानी है। तनकी सं0 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में सिद्ध मानी है। इस प्रकार विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विद्वान परीक्षण न्यायालय में वादी का दावा खारिज किये जाने योग्य माना है किन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भी खारिज किये जाने योग्य माना है। साथ ही विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–05–2005 में यह भी अंकित किया है कि वादी उसे आवंटित भूमि के संबंध में नियमानुसार गैर खातेदारी प्राप्त करने व आवंटन शर्तों की पालना कर खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है।

जिससे स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–05–2005 पूर्णतया विधिसम्मत है।

11– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–05–2005 यथावत् रखी जाती है।

12– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य